भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4470
दिनांक 19 मार्च, 2026

तेल पीएसयू के संबंध में अधिक समय से लंबित मुकदमेबाजी के मामले

†4470. **श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**
डॉ. नामदेव किरसानः
श्री बैन्नी बेहननः
श्री हरीश चंद्र मीनाः
श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः
श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेल संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) से जुड़े बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी के मामले विभिन्न कानूनी मंचों पर दस वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त दीर्घकालीन मुकदमेबाजी से उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभावों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त मुकदमेबाजी को कम करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली सहित किसी निगरानी तंत्र को लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के सभी तेल और गैस उपक्रमों (पीएसयूज) से संकलित की गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में 10 वर्षों से भी अधिक लगभग 4,558 मामले लंबित हैं तथा इन मामलों में शामिल वित्तीय निहितार्थ/आकस्मिक देयता लगभग 6386 करोड़ रुपये है।

सभी प्रमुख तेल और गैस सीपीएसईज ने एक ऑनलाइन विधिक मामलों की निगरानी प्रणाली (ओएलएमएस) विकसित की है जो केंद्रीकृत, स्वचालित एवं एआई-संचालित मंच के रूप में कार्य करते हुए मामलों की कुशल निगरानी करती है, विधिक प्रक्रिया का प्रबंधन करती है, अनुपालन की निगरानी और आदेश पत्रकों सहित मामलों में केस संबंधित दैनिक अद्यतन सूचना प्रदान करती है जिससे विधिक मामलों में डिजिटल बदलाव को अपनाकर खोज और ट्रैकिंग से संबंधित कुशल संचालन सक्षम बनता है।

मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल करना, शीघ्र निपटान हेतु मामले के उल्लेख का अनुरोध करना, नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विधिक सलाहकारों के साथ कॉन्फ्रेंस करना आदि जैसे सक्रिय उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य मामलों की सुनवाई हेतु लगातार सूची में शामिल होने को सुनिश्चित करना तथा विधिक मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता करना है। अधिवक्ताओं के साथ मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उन सभी मामलों का आकलन किया जा सके जिनका आपसी समझौते से निपटारा किया जा सकता है। इन समझौतों से लंबी विधिक प्रक्रियाओं को टालकर समय की बचत होती है तथा कानूनी फीस और कोर्ट के खर्चों को कम करके लागत में पर्याप्त बचत होती है।
